राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 335/2016

कमला डामोर (तलाकशुदा), निवासी ग्राम खोखधारा, पोस्ट खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय - सी स्कीम जयपुर।
2. उप प्रबंधक सामान्य, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
4. सहायकप्रबंधक सामान्य-II, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उदयपुर।
5. महाप्रबंधक (एचआर), स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उदयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री के.के. शाह
प्रतिवादीगण के लिए : श्री चयन बोथरा
श्री सार्थक आसोपा

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

03/01/2025

1. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को यह निर्देश देने की मांग की है कि उसे सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित आधार पर 'सफाई कर्मचारी' के रूप में नियुक्त किया जाए।

---

2. अनावश्यक विवरणों को पृथक रखते हुए , रिट याचिका के निस्तारण के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ता प्रारंभ में 2002 से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, सेक्टर 11, उदयपुर में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। बाद में उसे 01.09.2010 को अस्थायी आधार पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज शाखा, उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसे 1440 रुपये का निश्चित मासिक पारिश्रमिक मिलता था। तब से वह बिना किसी शिकायत के लगातार काम कर रही है।

2.2 27.07.2011 को कर्मचारी समन्वय समिति की बैठक में, याचिकाकर्ता का नाम परिपत्र संख्या कार्मिक/25/2010-11 दिनांक 25.05.2010 के अनुसार एक तिहाई वेतन पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था, जिसके अंतर्गत 01.05.2010 के बाद निश्चित वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों को एक तिहाई वेतन का अधिकार प्राप्त है। मामला अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया और याचिकाकर्ता का वेतन 01.02.2012 से एक विशेष मामले के रूप में निर्धारित किया जाना था।

2.3 याचिकाकर्ता ने 03.06.2013 को सहायक प्रबंधक सामान्य-II, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने 2002 से सफाई कर्मचारी के रूप में अपने निरंतर कार्य के बारे में बताया और भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संघ के बीच हुए 9 वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, एक तिहाई वेतन पर नियुक्ति का अनुरोध किया। हालाँकि, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शाखा प्रबंधक, एस.बी.बी.जे. आरएनटी मेडिकल कॉलेज शाखा, उदयपुर ने याचिकाकर्ता की संतोषजनक सेवा को मान्यता देते हुए, उसे एक तिहाई वेतन देने और उसके वेतन के पुनर्निर्धारण की अनुशंसा सहायक प्रबंधक सामान्य-II, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर को दिनांक 03.06.2013 और 12.07.2013 के पत्रों के माध्यम से की।

2.4 याचिकाकर्ता को कोई जवाब न मिलने पर, उसने 08.11.2014 को उप-प्रबंधक सामान्य, एस.बी.बी.जे., संभागीय कार्यालय, उदयपुर को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने एक-तिहाई वेतन की माँग दोहराई। हालाँकि, याचिकाकर्ता दिनांक

09.01.2015 का आदेश प्राप्त कर स्तब्ध रह गई, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि उसका वेतन एक-तिहाई वेतन पर निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया और अंततः मौखिक आदेशों के आधार पर पद से हटा दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

4. सबसे पहले, बैंक द्वारा दायर जवाबदावा में उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का संदर्भ लिया जा सकता है जो इस प्रकार है: -

4.1 दिनांक 17.07.2010 के परिपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता दावा किए गए लाभों की हकदार नहीं है क्योंकि वह 04.09.2010 से अस्थायी रूप से कार्यरत थी। परिपत्र में प्रावधान है कि अंशकालिक वेतनमान के तहत 01.05.2010 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारी न्यूनतम एक-तिहाई वेतन के पात्र हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने कभी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, न ही वह समझौता नियमों के अनुसार एक-तिहाई वेतन की पात्र थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का मामला मार्गदर्शन के लिए प्रधान कार्यालय को भेजा गया था, लेकिन इसे दिनांक 23.01.2012 के एक पत्र के माध्यम से विधिवत् अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यह दिनांक 25.05.2010 के परिपत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था।

4.2 इसके अलावा, आरएनटी मेडिकल शाखा, उदयपुर द्वारा याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना एकमुश्त भुगतान कर दिया गया, जिससे बैंक के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। इन कार्यों में शामिल बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जाँच शुरू की गई है। चूँकि याचिकाकर्ता ने ये महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं, इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. याचिका की विषय-वस्तु का अवलोकन करने तथा संलग्न सामग्री तथा जवाबदावा में लिए गए तदनुरूपी रुख को देखने के बाद, मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में तथ्यों के विवादित प्रश्न सम्मिलित हैं।

6. एक ओर, याचिकाकर्ता का दावा है कि निःसंदेह जनवरी, 2012 के महीने में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, जो कि उसने स्वयं स्वीकार की है और बैंक का भी यही मामला है, जैसा कि प्रारंभिक आपत्ति (ए) से पता चलता है कि उसका दावा 23.01.2012 के पत्र के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिस पर कोई अतिरिक्त हलफनामा और/या प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया है और इस प्रकार, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि उक्त स्थिति निर्विवाद है।

7. जैसा भी हो, याचिकाकर्ता इस स्तर पर इस बात पर विवाद करती है कि उपरोक्त पत्र के पारित होने के बाद, उसकी सेवाएं बैंक द्वारा अंशकालिक आधार पर पुनः ली गईं और वह 1,440/- रुपये के मासिक भुगतान पर अंशकालिक आधार पर काम करती रही, जिसके समर्थन में उसने 01.03.2014 (अनुलग्नक-1) का चेक संलग्न किया है।

8. यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता की सेवाएं पुनः ली गईं, तब भी उसे जनवरी, 2012 में पिछले दावे की अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए परिसीमा की कोई विस्तारित अवधि नहीं मिलेगी, जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वर्ष 2016 याचिका विलंब से क्यों दायर की गई।

9. यहां तक कि यदि याचिकाकर्ता ने अपने दावे की अस्वीकृति के खिलाफ कुछ अभ्यावेदन दायर किए थे, तो भी इसके परिणामस्वरूप परिसीमा की अवधि नहीं बढ़ेगी, जो कि सख्ती से कहा जाए तो रिट क्षेत्राधिकार में लागू नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद, देरी, यदि कोई हो, तो उचित होनी चाहिए और वर्तमान मामले की तरह 4 वर्ष जितनी लंबी नहीं होनी चाहिए।

10. अदालत के प्रश्न पर, यह पता चला कि स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015 के बाद कभी भी बैंक के साथ काम नहीं किया, यहां तक कि अंशकालिक आधार

पर भी नहीं। अंशकालिक कर्मचारी होने के नाते, किसी भी मामले में, उसे न्यूनतम वेतनमान का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और वह अंशकालिक कर्मचारी के लिए लागू बैंक नीति के अनुसार भुगतान पाने की हकदार थी।

11. उपरोक्त आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने एक स्तर पर दावे की अस्वीकृति के प्रति अपनी मौन सहमति दे दी थी और इस स्तर पर, इसे विलम्ब से पुनः खोलने का कोई आधार नहीं बनता है।

12. मामले का समग्र दृष्टिकोण अर्थात् विवादित तथ्यों की संलिप्तता तथा विलंब और शिथिलता के आधार पर, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता।

13. याचिका खारिज की जाती है।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

83-धनंजयएस/-
क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate